फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

गोपाल पिता मांगीया तेली नि. पीपलुन्द

बनाम

उदा पिता देवी बलाई नि. पीपलुन्द वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं 253 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.21	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपलुन्द पटवार हल्का पीपलुन्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1263, 1271, 1295, 1308, 1340/1, 1390/1 कुल किता 06 रकबा 03.16 बीघा स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद मे प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढ़ी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिससे जाहिर होता है कि पत्थरगढ़ी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पीपलुन्द पटवार हल्का पीपलुन्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1263, 1271, 1295, 1308, 1340/1, 1390/1 कुल किता 06 रकबा 03.16 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट मिश प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner